



कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्ररूप-5

(नियम 9 (7) देखिए)

कालोनी विकास की अनुमति

अनुज्ञा क्रमांक-49

दिनांक 21/11/16

प्र0क्र0 05.../अ-74/2016-17

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए "मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम पालाखेडी, तहसील हातोद, जिला इन्दौर में कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है:-

श्री/श्रीमती

मे.जे.आर.पी.एल.इस्टेट डेवलपर्स तर्फे भागीदार
श्री अखिलेश पिता संतोष कोठारी अन्य-2

निवासी -

103-104, सफायर हाईटस,
ए.बी.रोड, सी-21 मॉल के सामने, इन्दौर को

सर्वे नम्बर -

ग्राम पालाखेडी, तहसील हातोद जिला इन्दौर की भूमि सर्वे नम्बर 74/3(पार्ट) रकबा 2.023 पैकी 0.0.693 सर्वे नम्बर 74/4/2(पार्ट) रकबा 1.858 पैकी 1.603, सर्वे नम्बर 74/5 रकबा 0.717, सर्वे नम्बर 72/1 रकबा 0.097, सर्वे नम्बर 73/1/2 रकबा 0.709 हेक्टेयर कुल रकबा 5.404 हेक्टेयर पैकी 3.819 हेक्टेयर, ग्राम पालाखेडी, तहसील हातोद, जिला इन्दौर

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कालोनी विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है:-

- 1- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (20 सन् 1959) के उपबंधों के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिए लागू शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।
- 2- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु अनुज्ञा के अधीन लागू शर्तों का पालन करना होगा।
- 3- विकास/निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए भवनों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4- नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा।
- 5- नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्थल मानचित्र स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त अनुसार वन एवं पर्यावरण द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य उल्लेखित अनुमतियाँ ली जाना अनिवार्य होगा।
- 6- आवेदित भूमि के आस-पास की भूमि या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं विकास कार्य नहीं किया जावेगा।
- 7- कालोनी का विकास कार्य तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
- 8- कालोनी विकास पेटे धरोहर के रूप में भूखण्ड क्रमांक- 1 से 14(14), 38 से 53(16), 236 से 243(8), 60 से 79(20), 233 से 234(2) TOTAL 60 (क्षेत्रफल 4962.82 वर्गमीटर) रखे गये हैं। उक्त भूखण्ड को इस कार्यालय की सक्षम अनुमति के बगैर विक्रय नहीं किया जावेगा।

नोट-

अनुमानित विकास व्यय के प्राक्कलन का तकनीकी समिति द्वारा उनके विभागीय एस.ओ.आर के मान से रुपये 6,97,00,930/- मूल्यांकित किया गया है।



For JRPL Estate Developers,

Signature
Partner,

(पी.नरहरि)

कलेक्टर,
सक्षम प्राधिकारी,
जिला-इन्दौर